मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी. 6-1/85/3/1

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 1985

प्रति,

शासन के समस्त विभाग.

विषय.—विभागीय जांच/अपील के प्रकरण लोक सेवा आयोग की राय हेतु भेजने की आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया प्रपत्र.

सन्दर्भ.—सा. प्र. वि. का ज्ञा. क्र. सी/6-7/83/3/1, दिनाक 25-8-1984.

इस विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के साथ एक पुनरीक्षित प्रपत्र निर्धारित कर प्रसारित किया गया था, जिसमें विभागीय जांच एवं अपील प्रकरणों की विस्तृत जानकारी पुनरीक्षित प्रपत्र में ही भरकर लोक सेवा आयोग को उनके परामर्श के लिए भेजी जाने के निर्देश दिये गये थे. लोक सेवा आयोग ने सूचित किया है कि कथित निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है- जैसे कि, प्रकरणों में जानकारी अधूरी भेजना, अभिलेखों का सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणीकरण न होना, जांच प्रतिवेदन पर जांच अधिकारी के हस्ताक्षर न होना, अपील प्रकरणों में कण्डिकावार टीप का न दर्शाना इत्यादि. इन कारणों से प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि तक चलते रहते हैं तथा अधिकारी कई बार पदोन्नति समिति की बैठकों से अनुशंसित होने के बावजूद भी पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं.

अत: शासन अपेक्षा करता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये एवं भविष्य में विभागीय जांच एवं अपील के प्रकरण लोक सेवा आयोग को संदर्भित ज्ञापन के संलग्न प्रपत्र में समस्त सुसंगत एवं वांछित अभिलेखों के साथ ही भेजे जाया करें.

हस्ता./-
(मनीश बहल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी. 6-1/85/3/1

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 1985

प्रतिलिपि —

अध्यक्ष, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर की ओर उनके अ. शास. पत्र क्र. अ./निस/178/85, दिनांक 24-7-85 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(मनीश बहल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.